

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 283 OR 286 OF THE
BHARTIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA 2023**

In the court of **Shabana Khan Judicial Magistrate of the First Class, Katangi Distt. Balaghat** case no. **SUM/171/2026**, complaint of report made on..**Excise Sub Inspector Circle Katangi**. name and address of the complaint State Of M.P.

Name, parentage, caste and address of accused	
01.	कैलाश जामुनपाने पिता सुकलाल जामुनपाने उम्र 53 साल निवासी ग्राम टेकाड़ीघाट, थाना रामपायली, जिला बालाघाट म0प्र0

The offence complaint of and date of its alleged commission

अभियोग है कि दिनांक—13.07.2026 के समय 09:10 बजे स्थान ग्राम टेकाड़ीघाट, अंतर्गत थाना रामपायली, जिला बालाघाट म0प्र0 में एक प्लास्टिक की बाटल में 02 लीटर हाथ भट्टी देशी मदिरा को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के विक्रय हेतु रखा था।

इस प्रकार आपने वह अपराध किया जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ए) के अंतर्गत दण्डनीय है। अतः आप बताये कि क्या आपको जुर्म स्वीकार है अथवा विचारण चाहते हो ?

(शबाना खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटंगी, जिला बालाघाट म0प्र0

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त का अभिवाक है कि:—अपराध स्वीकार है, विचारण नहीं चाहता हूँ।

(शबाना खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटंगी, जिला बालाघाट म0प्र0

The offence proved. if any and in case under clause, (d) clause (e) clause(F) or clause(g) of the sub-section (i) of section 283 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

न्यायालय:-शबाना खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटंगी,
जिला बालाघाट म0प्र0

CASE NO. SUM/171/2026

FILING NO. SUM/728/2026

REG. DATE-18.08.2026

म0प्र0 राज्य द्वारा-आबकारी वृत्त कटंगी, जिला बालाघाट म0प्र0

अभियोजन

विरुद्ध

कैलाश जामुनपाने पिता सुकलाल जामुनपाने उम्र 53 साल निवासी
ग्राम टेकाड़ीघाट,थाना रामपायली, जिला बालाघाट म0प्र0

अभियुक्त

॥ निर्णय ॥

(आज दिनांक **18.08.2026** को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त कैलाश जामुनपाने के द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा 34(1)(ए) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त को धारा 34(1)(ए) म0प्र0 आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं राशि रुपये- **4000/-** (चार हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
03. प्रकरण में जप्तशुदा 1 प्लास्टिक की बोटल में 02 लीटर हाथ भट्टी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित एवं घोषित किया गया।
गया।

मेरे आलेख पर टंकित किया

(शबाना खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटंगी, जिला बालाघाट म0प्र0

(शबाना खान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कटंगी, जिला बालाघाट म0प्र0